न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

म्युटेशन अपील संख्या –14 / 2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. शंकरराम पुत्र हरदीनराम 2. किशनाराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट, निवासी इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर		1. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता। 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूअभिलेख मेड़ता सिटी, जिला नागौर 3. ग्राम पंचायत इन्दावड़ पंचायत समिति मेड़तासिटी 4. मंगलाराम पुत्र हरदीनराम 5. पप्पुराम पुत्र पांचाराम 6. छोटूराम पुत्र हरदीनराम 7. हेमाराम पुत्र रामूराम जाति जाट, निवासी इन्दावड़, तहसील मेड़ता, जिला नागौर

उपस्थितिः–
1. अपीलाण्टस की ओर से वकील श्री धर्माराम खुड़खुड़िया।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 2 की और से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 04-02-2019

अपीलांट ने यह अपील 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। अपीलान्ट द्वारा ग्राम इन्दावड़ तहसील मेडता के खसरा नम्बर 2522 के संबंध में म्यूटेशन संख्या (3572)1097 जो तहसीलदार मेड़ता द्वारा दिनांक 5.5.2011 को स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 28.01.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर, अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया व रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–3 से 7 ने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

वकील अपीलान्टस् ने मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त विधि विरूद्ध म्यूटेशन की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में नामान्तरकरण भरा गया, न कोई नोटिस दिया न ही नामान्तरकरण हेतु जो विधिक प्रकिया होती है उसकी पालना की, अपीलान्ट को सर्वप्रथम नामान्तरकरण जैर अपील की जानकारी दिनांक 06.01.2016 को हुई। जिससे अपील अपीलान्ट अन्दर मयाद शुमार करने योग्य होने का कथन करते हुऐ न्याय हित में अपील पेश करने में हुई देरी को उपरोक्त माकूल व पर्याप्त कारण को देखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा

कलक्टर, नागौर

नागौर (राजस्थान)

अपील के साथ प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र एवं बहस में किये गये कथन पर सहानूभूतिपूर्वक विचार करते हुए न्यायहित में इस अपील का गुणावगुण के आधार पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जाना उचित है। अपीलान्ट की अपील पर मेरिट पर सुनवाई की गई।

वकुलाय की बहस अंतिम सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने स्वंय की बहस में कथन किया की ग्राम इन्दावड़ में साबिका खसरा नम्बर 817 करीब 8 बीघा पर अपीलांट्स के पूर्वजों का रिहायसी बाडा, ढ़ाणी, ऐवाड़ा रहता आया था जो जागीर समय से रहता आया था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले ही उक्त बाड़े पर अपीलांट के व रेस्पोडेंट्स संख्या 3 से 6 के पूर्वजों के रिहायसी बाड़ा, ढ़ाणी रहते आये थे व आपसी बंटवाड़े में संवत 2020 के आस पास अपीलांट्स के तन्हा बंट में रहती आई है। उक्त भूमि के एक तरफ पुरानी इस्तेमाली नाडी की नीचे की पाल (पानी को रोकने हेतु रेत की भूतल से 10–12 फुट उंचाई तक रेत इकट्ठी कर बनाई हुई पाली) रहती आई है तथा उक्त ढाणी के एक तरफ आम रास्ता तथा अन्य दो दिशाओं में से एक दिशा में रिहायशी ढ़ाणियां व एक और दिशा में रास्ता रहता आया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद कभी कभी पटवारियों ने उक्त रिहायसी ढाणी का उल्लेख गिरदावरीयों में व खसरा परिवर्तनशील में दर्ज किया व कभी नहीं किया तथा उक्त 8 बीघा रकबा के चिपती हुई आबादी रहती आई है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व ग्रामवासी उक्त भूमि को आबादी में होना महसूस कर रहे है तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी भी कभी आबादी की भूमि होना व कभी राजस्व भूमि होना आभाष करने से जिन पटवारियो ने इसे आबादी सीमा में होना स्वीकार किया उन्होने गश्त गिरदावरी में उल्लेख नहीं किया व जिन राजस्व पटवारीयो ने इसे राजस्व भूमि माना उन्होने गश्त गिरदावरीयों में अपीलांट संख्या 1 का नाम दर्ज किया है। तहसील मेड़ता में सन 2000 के बाद से प्रथम भूप्रबंध की कार्यवाही शुरु हुई जो सन् 2004 के आस पास खत्म हुई व भूप्रबंध अधिकारीयों ने उक्त भूमि को राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 2522 होना व अलग खसरा व रकबा होना अंकित किया है तथा जिस तरफ पाल है उस तरफ पाल के खसरा नम्बर 2519 व तालाब के पानी इकट्ठा होने के रकबे को 2520 दर्ज किया है।

हाल खसरा नम्बर 2522 का सम्पूर्ण रकबा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 6 के पूर्वजो के कब्जे व स्वामित्व, हक अधिकार का रहता आया है व वर्तमान में भी आपसी बंटवाड़े में अपीलांटान के बंट में है। सन् 1988 के आस पास उक्त भूमि को खसरा नम्बर 817 व 819 होना मानते हुए पटवारी हल्का ने 10 बिस्वा भूमि पर अपीलांट संख्या 1 को अतिक्रमी होना मानते हुए उस पर बाड़ा होना दर्ज करते हुए तहसीलदार को रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा नंबर 88 / 10 दिनांक 6.9. 2010 को दर्ज किया व तत्पश्चात् पटवारी हल्का ने भूमाप करने पर उक्त भूमि आबादी में स्थित होना प्रतित हुआ तब पुनः पटवारी ने अपनी त्रुटि को सुधारते हुए वास्तविक तथ्य तहसीलदार के सामने रखे तब माननीय तहसीलदार ने दिनांक 13.09.2010 को पुनः निर्णय करते हुए कार्यवाही आबादी में स्थित भूमि बाबत होना स्वीकारते हुए खारिज करने का आदेश पारित किया व आज दिन तक अपीलांटान काबिज है उक्त आदेश के विरुद्व अलग से अपील पेश की जा चुकी है नामान्तरकरण के विरुद्व यह अपील पेश की जा रही है।

हाल ही में गांव में चर्चा हुई कि अपीलांट के उक्त कब्जे को ग्राम पंचायत के वर्तमान निर्वाचित सरपंच व पंचगण कार्यवाही कर कब्जा हटाने की तैयारी कर रहे है तब अपीलांटान ने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तब दिनांक 6.1.2016 को अपीलांटान के नामान्तरकरण संख्या 1097 जो पूर्व में 3572 के स्थान पर दर्ज किये गये है, की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई व अपीलांट को ज्ञात हुआ कि उक्त रकब की किस्म आबादी की बजाय पुनः खसरा नम्बर 2522 की किस्म गेर

एडवोकेट, नागौर

नागौर (राजस्थान)

मुमकिन गौचर गलत दर्ज कर दी है। म्यूटेशन जैर अपील विधि विरुद्व अनुचित व क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिक प्रकिया अपनाये बिना पारित किया गया है जो निरस्त किया जाने योग्य है।

ग्राम इन्दावड़ तहसील मेड़ता में भूप्रबंध की कार्यवाही हो चुकी है व भूप्रबंध अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 2522 को गेर मुमकिन आबादी दर्ज कर दिया गया था व मौके पर भी आबादी के उपयोग में हो रही भूमि की किस्म को उपखण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किस्म परिवर्तन का जो आदेश दिया है। विधि विरुद्व व त्रुटिपूर्वक होने से उसके विरुद्व अलग से अपील सक्षम न्यायालय में पेश की जा चुकी है, म्यूटेशन हाजा के विरुद्व न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की गई।

रेस्पो. सं. 4 से 7 को पुश्तेनी स्वामित्व के कब्जे काश्त होने व अपीलांटान को बंट में दी जाने के अभिवचन होने से आवश्यक पक्षकार के रुप दर्ज करना आवश्यक होने से पक्षकार दर्ज कर अपील पेश की गई है, का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण जैर अपील निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने स्वंय की बहस में कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश 20.3.11 एवं तहसीलदार मेड़ता के आदेश 29.3.2011 की पालना में पटवारी इन्दावड़ द्वारा भरा गया है, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक गगराना ने जॉच में सही पाया जाने की रिपोर्ट अंकित की है। उक्त आधार पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत किया है, जो सही है। तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त म्यूटेशन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश की पालना में स्वीकृत गया है, जो विधि सम्मत होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में म्यूटेशन जैर अपील उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश कमांक 563 दिनांक 20.3.11 एवं तहसीलदार मेड़ता के आदेश कमांक 727 दिनांक 29.3.2011 की पालना में पटवारी इन्दावड़ द्वारा भरा जाकर भू अभिलेख निरीक्षक गगराना के समक्ष प्रस्तुत किया, भू अभिलेख निरीक्षक गगराना ने जॉच में सही पाया जाने की रिपोर्ट म्यूटेशन जैर अपील पर दिनांक 19.04.2011 को अंकित की किये जाने पर तहसीलदार मेड़ता द्वारा उक्त म्यूटेशन उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के आदेश दिनांक 20.3.11 की पालना में स्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है। अपीलांट्स यदि उक्त आदेश दिनांक 20.03.2011 से असंतुष्ट है तो वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार किसी न्यायालय के आदेश की पालना में स्वीकृत किये गये म्यूटेशन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर